न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्रा0 पत्र सं0 01/2019 प्रा0पत्र 14(4) आवंटन नियम

नरपत सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

1. पूर्ण लाल पुत्र कल्याण जाति जोगी निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा
2. श्रीमती मगन कंवर पत्नि राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी खुरी खुर्द तहसील दौसा
3. आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा
4. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा

Web Copy - Not Official

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 विरूद्ध आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा दिनांक 19.5.2000 जिसके तहत अप्रार्थी स0 01 को वाके ग्राम खुरी खुर्द में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की पास की भूमि खसरा नंबर 362 में से 0.75है. भूमि का आवंटन किया गया है।

उपस्थित–1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 01 व 02 की ओर से

3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय दौसा

निर्णय

दिनांकः 08.05.2024

1.संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.5.2000 को ग्राम खुरी खुर्द के खसरा नंबर 362 में से 0.75है. भूमि का आवंटन अप्रार्थी सं0 1 पूर्ण लाल जोगी को कर दिया। प्रार्थी द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।

2.प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। तलब किया गया।

3.अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि वाके ग्राम खुरी खुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 362 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए के मध्य से 50 गज की दूरी पर स्थित है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 गज की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। किन्तु आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा ने बिना कोई उद्घोषणा जारी किये बिना व बिना कोई जांच किये बिना विधि विरूद्ध तरीके से आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए फॉड व धोखे से कानून विरोधी आचरण करके और राष्ट्रीय राजमार्ग 11 ए के मध्य से 50 गज की दूरी में स्थित ग्राम खुरी खुर्द मे स्थित भूमि खसरा नंबर 362 में से 0.75है0 भूमि का आवंटन दिनांक 19.5.2000 को अप्रार्थी सं0 1 को कर दिया तथा अप्रार्थी सं0 1 ने बिना अपना कब्जा हुए बिना ही उक्त भूमि का अप्रार्थी नं 2 को विक्रय कर दिया। भू आवंटन सलाहकार समिति का आवंटन आदेश दिनांक 19.5.2000 विधि विरूद्ध प्रकिया व नियमों के विपरीत है। आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करके उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। ... उद्घोषणा जारी नहीं की गई है ना ही उद्घोषणा की तामील ... उद्घोषणा की तामील कराये बिना व बिना कोई जांच किये किया गया उक्त आवंटन आदेश निरस्तनीय है। कानून आवंटन नियमों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य से 50 गज की दूरी तक की भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है। जबकि प्रश्नगत भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए के मध्य से 50 गज की

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:33 IST
Reason: SelfAttested

......निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

दूरी पर स्थित है एवं बेशकीमती भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं करके आवंटन किये जाने में कानूनी भूल की है। उक्त भूमि के संबंध में पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया है कि उक्त भूमि की उद्घोषणा जारी हो चुकी है या उद्घोषणा की तामील हो चुकी है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट मे स्पष्ट अंकित किया था कि उक्त भूमि का सिरा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 11 ए से लगता हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य पर गौर किये बिना एवं मौके की वास्तविक स्थिति की जांच किये बिना आवंटन किया गया है जो निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकन किया है कि उक्त भूमि की अन्य व्यक्तियों ने भी मांग की है जो कि रिपोर्ट के चरण नं0 8 में अंकित है किन्तु पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर गौर किये बिना तथा अन्य व्यक्तियों के आवेदन को इस आवंटन में शामिल किये बिना और यह कारण अंकित किये बिना कि अप्रार्थी नं0 1 को क्यों करना उचित समझते है और अप्रार्थी सं0 1 को प्रश्नगत भूमि का आवंटन कर दिया। आवंटन फॉड एवं धोखे से किया गया है। यह तथ्य इस बात से भी प्रमाणित होता है कि आवंटन के आवेदन पत्र को देखने से यह ज्ञात होता है कि आवेदन पत्र में पहले 0.50है0 भूमि का आवंटन करके उस पर उपखंड अधिकारी ने हस्ताक्षर किये गये है, बाद में उस पर लाईन खींच कर 0.75है0 भूमि लिख दी जो अपने आप में फॉड सिद्ध करता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस जारी रखते हुए दलील दी कि अप्रार्थी सं0 1 का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। फिर भी फॉड एवं धोखे से उक्त भूमि का विधि विरूद्ध तरीके से प्राप्त खातेदारी अधिकार के आधार पर अप्रार्थी नं0 2 के नाम विकय पत्र तस्दीक करवा दिया। उक्त भूमि पर आवंटन से पूर्व प्रार्थी व प्रार्थी के बुजुर्ग का कब्जा है और प्रार्थी व प्रार्थी के बुजुर्ग उक्त भूमि को उपयोग व उपभोग में ले रहे है और आज भी मौके पर प्रार्थी का कब्जा है। भूमि बरवक्त आवंटन खाली भूमि नहीं थी, किन्तु फिर भी उक्त भूमि को आवंटन करने में कानूनी गलती की है जो निरस्तनीय है। आवंटन आदेश के अवलोकन से यह भी सिद्ध होता है कि अप्रार्थी सं0 1 को खसरा नंबर 362/2 की भूमि का आवंटन किया गया है किन्तु नामान्तरण गलत तरीके से खसरा नंबर 362/4 बताकर तस्दीक किया गया है जो फॉड की श्रेणी में आता है। प्रार्थी को उक्त आवंटन आदेश की जानकारी पूर्व में जानकारी नहीं होकर दिनांक 15.1.2019 को हुई थी। प्रार्थी को जानकारी होने पर दिनांक 16.1.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल दिनांक 17.1.2019 को प्राप्त होने पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अवैध, प्रभावशून्य आवंटन आदेश को निरस्त करने हेतु कोई मयाद नहीं होती है एवं अवैध आवंटन को खातेदारी मिलने के पश्चात भी आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरडी 1998 पेज 589, आरआरटी 2018–19(**supp.**) पेज 338, आरआरटी 2021(1)पेज 740–741 की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा दिनांक 19.5.2000 जिसके तहत अप्रार्थी नं0 1 को वाके ग्राम खुरी खुर्द में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की भूमि खसरा नंबर 362 में से 0.75है0 भूमि का आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 2 ने बहस में दलील दी कि आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा आवंटन रूल्स के अन्तर्गत ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है भूमि का आवंटन दिनांक 19-05-2000 को अप्रार्थी संख्या 1 को किया गया है तथा उक्त ग्राम अप्रार्थी सं0 1 अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय कर दिया है। आवंटन आदेश दिनांक 19–05–2000 विधि के अनुरूप तथा आवंटन नियमों का पालन करते हुए आवंटन आदेश अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पारित किया गया है। उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या1 का आवंटन से पूर्व से ही कब्जा काश्त था। उक्त आवंटित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का पूर्वजों के समय से ही कब्जा काश्त उक्त आवंटित भूमि पर था जिसके कारण आवंटन सलाहकार

.....निरंतर 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:49:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

समिति द्वारा अप्रार्थी सं० 1 को आवंटन आदेश दिनांक 19–05–2000 से खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है0 भूमि का आवंटन किया गया तथा खसरा नम्बर 362 से अन्य कई व्यक्तियों को भी उक्त भूमि में से आवंटन किया गया है। प्रार्थी द्वारा जान बूझकर गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी सं० 1 व 2 को हैरान व परेशान करने की गरज से एवम् अप्रार्थी सं0 1 व 2 की उक्त भूमि को हडप करने की गरज से पेश किया गया है। आवंटन आदेश दिनांक 19–05–2000 आवंटन नियमों की पालना करते हुए पारित किया गया है, जिसमें फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्टेशन से उक्त आवंटन आदेश पारित नहीं किया गया है जबकि उक्त आवंटन आदेश मजमे आम में पूर्ण कोरम के साथ आवंटन कमेटी के द्वारा किया गया है। उक्त आवंटित भूमि पर पूर्वजो के समय से ही आवंटी अप्रार्थी सं0 1 का कब्जा चला आ रहा था। इसी कारण से आवंटन कमेटी द्वारा अप्रार्थी सं0 1 को उक्त भूमि का आवंटन किया गया है। अप्रार्थी को उक्त आवंटन की गई वाके ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है० भूमि आवंटन आदेश दिनांक 19–05–2000 के द्वारा की गई है उक्त भूमि के नये नम्बर 362/4 रकबा 0.75 है0 बनाये गये है तथा प्रार्थी नरपतसिंह को उक्त आवंटन आदेश की जानकारी आवंटन आदेश होने के दिन से ही थी परन्तु प्रार्थी नरपतसिंह द्वारा दिनांक 22–01–2019 को उक्त उजरात आवंटन आदेश दिनांक 19–05–2000 से लगभग 19 वर्ष बाद अप्रार्थी सं0 1 को खातेदारी अधिकार मिल जाने के पश्चात पेश किये गये है जो कानूनन माननीय न्यायालय को आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात उजरात सुनने का श्रवणाधिकार क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखण्ड अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 19–05–2000 को वाके ग्राम खुरी खुर्द में अप्रार्थी संख्या 1 पूर्णलाल को खसरा नम्बर 362 में से 0.75 है0 भूमि का आवंटन आदेश आवंटन नियमों की पालना करते हुए किया गया है। खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0. 75 है0 राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी सं0 1 के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज होने के पश्चात अप्रार्थी सं० 1 द्वारा दिनांक 16–04–2008 को अप्रार्थी सं0 2 को विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया गया है। उक्त भूमि पर आवंटन के समय से पूर्व से ही अप्रार्थी सं० 1 का कब्जा विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दिन तक था तथा विक्रय पत्र तस्दीक करवाने के दिन से उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं० 2 का कब्जा है। उक्त भूमि का आवंटन अप्रार्थी पूर्ण लाल के हक में दिनांक 19–05–2000 को होने के पश्चात गैर खातेदारी का नामान्तरण अप्रार्थी सं० 1 के हक में खुला तथा उसके पश्चात अप्रार्थी सं0 1 का उक्त भूमि पर कब्जा होने तथा आवंटन शर्तो की पालना करने पर गैर खातेदारी का 260 दिनांक 30–01–2004 को उक्त नामान्तरण तहसीलदार दौसा खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी सं० 1 द्वारा माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उक्त नामान्तरण की अपील संख्या ०५/२००० पूर्णमल बनाम राजस्थान सरकार प्रस्तुत की गई जिसको न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा दिनांक 25–04–2007 को उक्त अपील का निर्णय पारित कर प्रार्थी की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई कि प्रार्थी आवंटी का उक्त भूमि पर कब्जा होने अथवा नहीं होने की जांच करे तथां प्रार्थी खातेदारी अधिकारों का अपात्र था तो नामान्तरण भरकर पेश करने वाले पटवारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करे तथा खातेदारी अधिकारों का पात्र हैं तो नामान्तरण निरस्त करने वाले आई एल आर व [illegible] त्मक कार्यवाही करने का निर्णय पारित किया गया। जिसके पश्चात तहसीलद[illegible]रा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण संख्या 15/2007 उनवा[illegible] 2007 को अन्तिम निर्णय पारित फरमाया जाकर आदेश [illegible] संख्या 260 में अंकित भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 0.75 है0 में से एन एच 11 ए में परिसी[illegible] क्षेत्र में 0.02 है० कम करते हुए शेष भूमि का रकबा 0.73 है0 के संबंध में गैर खातेदार द्वा[illegible] आवंटन शर्तो की पालना करने व खातेदारी अधिकारो की पात्रता रखने के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना स्वीकार किया गया। न्यायालय तहसीलदार दौसा के निर्णय दिनांक 20.7.2007 को निर्णय पारित करने से

......निरंतर 4 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:33 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

प्रा0 पत्र सं0 01/2019 प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम

पूर्व न्यायालय तहसीलदार दौसा द्वारा उक्त एन एच 11 ए के उक्त आवंटित भूमि के समीप अथवा नजदीक होने के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर से जांच रिपोर्ट ली गई। पटवारी हल्का तथा गिरदावर की रिपोर्ट दिनांक 16–07–2007 में पटवारी हल्का तथा गिरदावर ने अपनी जांच में यह तथ्य साबित पाया कि उक्त आवंटित भूमि खसरा नम्बर 362/4 का लगभग 0.02 है0 भाग एन एच 11 ए की चौडाई परिसीमा क्षेत्र में आता है और यह भी अभिशंषा की कि उक्त प्रकरण में गैर खातेदार को आवंटित भूमि की गैर खातेदारी में से सडक परिसीमन रकबा 0.02 है0 को छोडकर शेष भूमि की खातेदारी दी जा सकती है तथा गैर खातेदार द्वारा आवंटन नियमों की शर्तों की पालना की जा रही है मौके पर कब्जा काश्त है एवम् गैर खातेदार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने की पात्रता रखता है। इस प्रकार माननीय न्यायालय तहसीलदार के निर्णय दिनांक 20–07–2007 में तहसीलदार दौसा द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के मंगवाई जाकर उक्त गैर खातेदारी से खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 260 का निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के आधार पर अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 21–07–2007 को गैर खातेदारी से खातेदारी के अधिकार प्रदान किये गये तथा अप्रार्थी सं0 1 को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.75 है0 भूमि में से 0.02 है0 भूमि एन एच 11 ए की सीमा में छोड़ कर शेष भूमि के खातेदारी अधिकार तहसीलदार भू अभिलेख दौसा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को प्रदान किये गये। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 उक्त खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उक्त भूमि पर काबिज होकर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में लेता चला आ रहा था। उसके पश्चात अप्रार्थी सं0 1 ने अपनी खातेदारी भूमि को दिनांक 16–04–2008 को उक्त भूमि का बेचान अप्रार्थी संख्या 2 को जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा किया गया। वर्तमान में वाके ग्राम खुरी खुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित खसरा नम्बर 362/4 की एक मात्र खातेदार काबिज काश्तकार अप्रार्थी सं0 2 है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी सं0 2 का कब्जा काश्त होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उजरात खारिज योग्य है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 ने बहस जारी रखते हुए दलील दी कि पूर्व में एन एच 11 ए खसरा नम्बर 218 में होकर गुजर रहा था लेकिन सन 1991 में दौसा जिला बनने के पश्चात उक्त एन एच 11 ए का विस्तार किया गया तथा खातेदारान की भूमि को अवाप्त कर उक्त एन एच 11 ए को पश्चिम दिशा की ओर अधिक बढाकर भूमि अवाप्त कर एन एच 11 ए का निर्माण किया गया जिसमें खसरा नम्बर 205/1, खसरा नम्बर 203/1, खसरा नम्बर 219/1, खसरा नम्बर 202/1 में अवाप्ति की जाकर भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के खाते में खसरा नम्बर 203/1 रकबा 0.54 है0 गै०मु०सडक, खसरा नम्बर 205/1 रकबा 0.33 है० गै०मु०सडक, खसरा नम्बर 219/1 रकबा 0.75 है0 गै०मु०सडक अवाप्त की जाकर खातेदारी में दर्ज की गई एवम् वर्तमान में खसरा नम्बर 218 रकबा 2.23 है०गै०मु० सडक जो सार्वजनिक निर्माण विभाग दौसा के खाता संख्या 282 में दर्ज रिकॉर्ड है पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 ए न बनकर पश्चिम दिशा की ओर भूमि अवाप्त कर बनाया गया है। इसलिए अप्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 362/4 रकबा 0.73 है० भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के परिधि के अन्दर नहीं आती है प्रार्थी द्वारा जो उजरात श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये है उसमें ... की भी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 202/2 रकबा 1.81 है० भूमि एन एच 11 ए रा... राज...र्ग के समीप है उक्त भूमि मूल नम्बर 362 में से अन्य आवंटियों को आवंटन की गई है ... प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा अन्य खातेदारान की भूमि राजमार्ग के समीप है जिनके खसरा नम्बर 205/2, 203/2, 362/2, 362/3, 362/1672, 3...6, 362 है। उपरोक्त नम्बर भी उक्त ग्राम में एन एच 11 ए के समीप है। ग्राम खुरी खुर्द में स्थित खसरा नंबर 362 रकबा 2.67है0 में से अप्रार्थी सं0 1 को 0.75है0 भूमि का आवंटन दिनांक 19.5.2000 को आवंटित की गई थी जिससे खसरा नंबर 362/4 की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 को दी गई जिसके संबंध में प्रार्थी नरपतसिंह, आरबीजे (8) 2001 पेज 125 आरबी, आरबीजे 1995 (2) पेज 780 एचसी की प्रतियां पेश की

......निरंतर 5 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:33 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश महोदय दौसा में एक वाद उनवानी नरपतसिंह बनाम पूर्णलाल वगै0 अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा दावा सं0 105/2023 टी0आई0 सं0 106/2023 पेश किया गया है जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद में प्रा0पत्र 14(4) में वर्णित भूमि के आवंटन आदेश दिनांक 19.5.2000 को अवैध व प्रभावशून्य घोषित भूमि के संबंध में सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किये जाने के कारण भी उक्त प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। भू आवंटन नियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी आवंटित भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात प्रा.पत्र 14(4) उजरात पेश नहीं किये जा सकते है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 2 ने उक्त कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2023(1)पेज 559 आरबी, 2021 आरबीजे पेज 747 आरबी, आरआरडी 2018 पेज 479 एचसी, आरआरटी 2017(2)पेज 972 आरबी, 2011(1)आरआरटी पेज 383 एचसी, आरआरडी 2008 पेज 125 आरबी, आरआरडी 2007 पेज 713 आरबी, आरआरडी 2006 पेज 135 आरबी।

5. राजकीय अधिवक्ता की ने दलील दी कि ग्राम खुरी खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 362 रकबा 0.75है0 भूमि पूर्ण कोरम में अप्रार्थी पूर्णलाल पुत्र कल्याण जोगी को आवंटन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक 19.5.2000 को विधिवत व कानूनन तरीके से आवंटित हुई थी। आवंटी पूर्णलाल का आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व व आवंटन के पश्चात भी निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का आवंटित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। अप्रार्थी पूर्णलाल के द्वारा आवंटन आदेश की शर्तों की पालना करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण सं0 260 भरकर तस्दीक हेतु तहसीलदार दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसको तहसीलदार दौसा के द्वारा दिनांक 20.1.2004 को निरस्त कर दिया गया। उक्त नामान्तरण की अपील मा0 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा में प्रस्तुत की गई जिस पर विचारण न्यायालय ने निर्णय दिनांक 25.4.2007 के द्वारा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.1.2004 को निरस्त फरमाया जाकर तहसीलदार दौसा को प्रकरण इस आशय से रिमांड किया कि आवंटी के कब्जा काश्त की जांच की जाकर खातेदारी अधिकार के संबंध में जॉच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार दौसा द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार भूमि एन0एच011 के समीप होना तथा खसरा नंबर 362/4 रकबा 0.75है. में से लगभग 0.02है0 भूमि सडक परीसीमा क्षेत्र में आना उल्लेखित किया गया तथा आवंटी द्वारा आवंटन आदेश की शर्तों की पालना किय जाना तथा भूमि पर कब्जा काश्त होना माना जाकर 0.73है0 भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। प्रार्थी द्वारा नितान्त गलत आधारों पर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:33 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने उभपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 19.5.2000 को कैंप बापी में आवंटी पूर्णलाल पुत्र कल्याण जाति

.....निरंतर 6 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

Web Copy - Not Official

जोगी निवासी खुरी खुर्द को ग्राम खुरी खुर्द में स्थित आराजी खसरा नंबर 362 में से 0.75है0 भूमि का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा भूमि आवंटन कराने बाबत आवेदन पत्र भरकर आवंटन कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर आवंटन कमेटी द्वारा भूमि आवंटन की गई थी।

6.1 पत्रावली में शामिल मूल आवंटन अभिलेख के अवलोकन से अधिवक्ता प्रार्थी का यह कथन गलत सिद्ध होता है कि आवेदन पत्र में पहले 0.50है0 भूमि का आवंटन करके उस पर उपखंड अधिकारी ने हस्ताक्षर किये गये है, बाद में उस पर लाईन खींच कर 0.75है0 भूमि लिखी गई है।

6.2 पत्रावली में शामिल नकल खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह प्रमाणित होता है कि आवंटित भूमि पर अप्रार्थी सं0 2 मगन कंवर का संवत 2063 से 2079 तक निरंन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है।

6.3 आवंटित भूमि पर प्रार्थी का अथवा प्रार्थी के पूर्वजों का कब्जा काश्त होने बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6.4 हम अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के से सहमत हैं जिसके अनुसार कपट कारित कर एवं तथ्य छिपाकर आवंटन प्राप्त करने पर भूमि का आवंटन खातेदारी प्राप्त होने के उपरांत भी निरस्त किया जा सकता है।

6.5 साथ ही प्रार्थी के द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश दौसा में एक अन्य वाद उनवानी नरपतसिंह बनाम पूर्णलाल वगै0 अधिघोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा दावा सं0 105/2023 टी0आई0 सं0 106/2023 पेश किया गया है जो वर्तमान में भी विचाराधीन है।

6.6 प्रार्थी का मुख्य उज्र यह है कि आवंटित भूमि सडक सीमा के 50 गज के भीतर है। न्यायालय द्वारा इस बाबत तहसीलदार दौसा से तलब रिपोर्ट क्रमांकः594 दिनांक 9.2.2023 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 362/4 की भूमि एन.एच. के मध्य से 29 मीटर की दूरी पर स्थित है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 4(च) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार " राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित कोई अन्य सडक के लिए भारतीय सडक कांग्रेस के मार्गदर्शन में विनिर्दिष्ट सीमाएं या किसी अधिनियम या केन्द्रीय या राज्य सरकार इस निमित्त बनाये गये नियमों या सडक के केन्द्र में 45 मीटर जो भी अधिक हो, में यथा विनिर्दिष्ट सीमाए) में स्थित भूमि का आवंटन नहीं किया जा सकता है।" आवंटन की मूल पत्रावली में पटवारी द्वारा उक्त खसरे के संबंध में यह रिपोर्ट की गई है कि यह भूमि एन.एच.11 ए से सिरा लगती हुई है। जिससे यह सिद्ध होता है कि तत्समय जब इस भूमि का आवंटन किया गया था, तब भी यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी में था, एवं प्रश्नगत भूमि सडक से ... मीटर की परिधि में स्थित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:33 IST
Reason: SelfAttested

6.7 प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि उसे खसरा नंबर 362/2 की भूमि का आवंटन किया गया है किन्तु नामान्तरण गलत तरीके से खसरा नंबर 362/4 किया जाकर

.....निरंतर 7 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

तस्दीक किया गया है जो कि फ्रॉड की श्रेणी में आता है। आवंटन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा 362/2 में से 0.85 है0 आवंटन हेतु निवेदन किया गया था किन्तु आवंटन कमेटी की सिफारिश पर अप्रार्थी को खसरा नंबर 362 में से 0.75है. रकबे का आवंटन उपखंड अधिकारी दौसा द्वारा किया गया था जिसके खसरा नंबर 362/4 बनाये गये थे।

6.8 इस प्रकरण में अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 25.4.2007 भी महत्वपूर्ण है जिसमें उनके द्वारा उक्त विवादित भूमि के संबंध में नामान्तरण के आदेश निरस्त कर तहसीलदार दौसा को रिमांड कर प्रकरण में पुनः सुनकर आदेश पारित करने हेतु निर्णय दिया था जिसके पश्चात तहसीलदार दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.7.2007 खसरा नंबर 362/4 रकबा 0.75है0 में से एन.एच.11 ए के सीमा में आ रहे रबकबा 0.02 है को कम करते हुए शेष भूमि 0.73है. के खातेदारी अधिकार दिये जवने हेतु स्वीकृत किया एवं नियमानुसार सडक सीमा रकबे के संबंध में नियम 14(4) की कार्यवाही प्रस्तावित कर पालना की जावे के आदेश प्रदान किये।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 आंशिक स्वीकार किया जाता है।

7.1 मूल आवंटन आदेश दिनांक 19.5.2000 को इस प्रकार से संशोधित किया जाता है कि एन.एच.11 ए के मध्य से 45 मीटर भूमि तक श्री पूर्ण लाल जोगी पुत्र कल्याण जोगी को खसरा संख्या 362 में से प्रदान की गई गैर खातेदारी/खातेदारी अधिकार जिसके नये खसरा नंबर 362/4 बने है, को निरस्त किया जाता है।

7.2 खसरा नंबर 362/4 का रकबा जो एन.एच.11 ए के मध्य से 45 मीटर भूमि में स्थित है उसको राजकीय भूमि दर्ज किया जाये।

7.3 शेष भूमि का आवंटन यथावत बहाल रखा जाता है।

7.4 तहसीलदार दौसा को निर्णय की प्रति पालनार्थ प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 08 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:29:33 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा